"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मई 2012—ज्येष्ठ 2, शक 1934

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-3/2012/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2012 से दो वर्षों की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-एक के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"**टीप**— (1) दिनांक 17-01-2012 से प्रभावशील 2 वर्षों की कालावधि के लिए शीर्षक "कृषि अभियांत्रिकी सेवा" के अंतर्गत अनुसूची-एक के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 7 में उल्लिखित वाहन चालक (भारी वाहन) के पद तथा सरल क्रमांक 14 में उल्लिखित वाहन चालक (हल्के वाहन) के पद जिला स्तरीय घोषित किये जाते हैं.

(2) दिनांक 17-01-2012 से प्रभावशील 2 वर्षों की कालावधि के लिए वाहन चालक (भारी वाहन) तथा वाहन चालक (हल्के वाहन) के पद के लिए संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, नियुक्ति प्राधिकारी होंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2012

क्रमांक एफ 3-3/2012/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसरण में इस विभाग का अधिसूचना दिनांक 23-05-12 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd May 2012

NOTIFICATION

No. F 3-3/2012/14-1.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Sub-ordinate Agriculture Class-III (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2010. This Notification shall come into force from the date of 17th January, 2012 for a period of two years, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

After Schedule-I, the following Note shall be added, namely :—

"**Note — (1)** The post of Driver **(Heavy Vehicle)** mentioned at serial number 7 And Post of Driver (Light Vehicle) **mentioned at serial number** 14 of column (2) of Schedule-I are under heading **"Agriculture Engineering Services" are declared** as District level for a period of two years **with effect from 17-01-2012.**

(2) **Divisional Joint Director Agriculture shall be** Appointing Authority for the post of Driver (Heavy Vehicle) and Driver **(Light Vehicle)** for a period of two years with effect from 17-01-2012."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PARASNATH RAM, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-3/2012/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2012 से दो वर्षों की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-एक के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"**टीप**— (1) दिनांक 17-01-2012 से प्रभावशील 2 वर्षों की कालावधि के लिए अनुसूची-एक के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 9 में उल्लिखित डॉटा एण्ट्री ऑपरेटर ग्रेड-बी, सरल क्रमांक 10 में उल्लिखित सहायक ग्रेड-तीन के पद तथा सरल क्रमांक 11 में उल्लिखित स्टेनो टायपिस्ट के पद जिला स्तरीय घोषित किये जाते हैं.

(2) दिनांक 17-01-2012 से प्रभावशील 2 वर्षों की कालावधि के लिए डॉटा एण्ट्री ऑपरेटर ग्रेड-बी, सहायक ग्रेड-तीन तथा स्टेनो टायपिस्ट के पद के लिए संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, नियुक्ति प्राधिकारी होंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2012

क्रमांक एफ 3-3/2012/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसरण में इस विभाग का अधिसूचना दिनांक 23-05-12 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd May 2012

NOTIFICATION

No. F 3-3/2012/14-1.—**In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Sub-ordinate Agriculture Class-III (Ministerial) Executive Service Recruitment Rules, 2010. This Notification shall come into force from the date of 17th January, 2012 for a period of two years, namely :—**

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

After Schedule-I, the following Note shall be added, namely :—

"**Note** — (1) The post of Data Entry Operator Grade-B mentioned at serial number 9, Assistant Grade-III mentioned at serial number 10 and post of Steno typist at serial number 11 of column (2) of Schedule-I are declared as District level for a period of two years with effect from 17-01-2012.

(2) Divisional Joint Director Agriculture shall be Appointing Authority for the post of Data Entry Operetor Grade-B, Assistant Grade-III and Steno typist for a period of two years with effect from 17-01-2012."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PARASNATH RAM, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.